कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

अल्पकालीन निविदा सूचना

लखनऊ:दिनांक:मार्च 10 ,2016

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय लखनऊ में अग्नि सुरक्षा हेतु सभी भवनों व परिसर में फायर फाइटिंग एलार्म सिस्टम स्थापित है, जिसका 24घं0 प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ वित्तीय वर्ष 2016–2017 अतार्थ 01.04.2016 से 31.03.2017 तक के लिए सम्पूर्ण सिस्टम का वार्षिक अनुरक्षण मय संचालन व सिलेण्डर रिफिलिंग हेतु अनुबन्ध किया जाना है, जिसके लिए दिनांक 25.03.2016 तक सील बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।

उक्त निविदायें प्रत्येक कार्य दिवस में अपरान्ह 2:00 बजे से 4:00 बजे तक कार्यालय केन्द्रीय नजारत कमरा न0–7 में जमा की जावेगी। उक्त नियत तिथि व समय समाप्त होने पर किसी प्रकार की कोई निविदा जमा नहीं की जावेगी न ही उन पर कोई विचार किया जावेगा।

उपरोक्त स्थापित सम्पूर्ण फायर फाइटिंग एलार्म सिस्टम के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ सम्पूर्ण सिस्टम का कम्प्रेहिन्सिव वार्षिक अनुरक्षण मय सिलेण्डर रिफिलिंग अनुबन्ध हेतु अर्नेस्टमनी के रूप में रु0 10,000/– का बैंक ड्राफ्ट जिला जज, लखनऊ के पक्ष में देय, को संलग्न कराना अनिवार्य होगा। उक्त निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कटिंग/इरेजिंग/ओवर राइटिंग एवं फ्लूड का प्रयोग नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र को संबन्धित फर्म के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अग्नि सुरक्षा प्रणाली से संबन्धित सभी सिस्टम का निरीक्षण प्रत्येक कार्य दिवस में सांय 4:00 बजे से 5:00 बजे तक किया जा सकता है।

निविदा में अंकित कुल मूल धनराशि का 10प्रतिशत की दर से सेक्यूरिटी मनी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिला जज, लखनऊ के पक्ष में 06 माह हेतु बन्धक के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसे कार्य सन्तोषजनक पाये जाने का प्रमाणक प्रस्तुत करने पर संबन्धित के पक्ष में अवमुक्त किये जाने हेतु आदेश प्रदान किया जावेगा।

उपरोक्त से सम्बन्धित जमा की गयी सील बन्द निविदाओं को दिनांक 26.03.2016 की सांय 4:00 बजे जनपद न्यायालय लखनऊ परिसर में दक्षिणी खण्ड भवन के भू–तल पर स्थित सभागार कक्ष में सभी निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जायेंगी, जिसमें निविदाकारों की उपस्थिति उपरोक्त नियत तिथि को अनिवार्य होगी।

उक्त निविदा आमन्त्रित किये जाने व खोले जाने की तिथि में किसी प्रकार की वृद्धि/परिवर्तन किये जाने एवं किसी प्रकार के विवाद के लिए अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार माननीय जिला जज लखनऊ महोदय के अधीन सुरक्षित होगा जो सभी को मान्य होगा।

(वी0के0श्रीवास्तव)
अध्यक्ष, नीलामी समिति
प्रभारी अधिकारी नजारत
न्यायाधीश विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार
निवारण, सी0बी0आई0–6, लखनऊ।